

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

सीआयएन : यू 63032GA1967GOI000077

पंजीकृत कार्यालय : वाडेम, वास्को दा गामा, गोवा - 403 802

ई-मेल : contactus@goashipyard.com; वेबसाइट : www.goashipyard.in

शेयरधारकों को सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आयईपीएफ) में कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना "विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के संशोधित ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया जाता है।

2. अन्य विषयों के साथ इस संबंध में जारी नियम के अंतर्गत यदि किसी शेयरधारक द्वारा लगातार 7 या उससे अधिक वर्षों तक अपने शेयर पर लागू लाभांश भुगतान नहीं किया गया है / दावा नहीं किया गया है, तो ऐसे सभी शेयर, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आयईपीएफ) में हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

3. नियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कंपनी द्वारा ऐसे सभी शेयर जिन पर लगातार पिछले 7 या उससे अधिक वर्षों के संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है / दावा नहीं किया गया है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पहले ही आयईपीएफ को हस्तांतरित किए गए हैं।

4. नियमों का अनुपालन करते हुए एतद द्वारा यह सूचना जारी की जाती है कि कंपनी, उन सभी शेयर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010-11 से लगातार 7 वर्षों तक लाभांश के लिए कोई दावा नहीं किया गया है अथवा लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, आयईपीएफ को हस्तांतरित करेगी। आयईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण हेतु देय शेयर और शेयरधारकों का संपूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in पर उपलब्ध की गई है। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण हेतु देय शेयरों के विवरण की जाँच करने हेतु हमारी वेबसाइट का अवलोकन करें।

5. कंपनी द्वारा ऐसे सभी संबंधित शेयरधारकों को, जिनके शेयर आयईपीएफ प्राधिकरण को भेजे जाने हैं, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना भेजी जा रही है। संबंधित शेयरधारकों से 30 सितंबर 2018 तक वित्तीय वर्ष 2010-11 से भुगतान न किए गए / दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए कंपनी को आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि उनके शेयर आयईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

6. यदि कंपनी को 30 सितंबर 2018 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना नहीं मिलती है तो कंपनी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित शेयरधारकों के शेयर आयर्डपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर सभी भावी लाभ और लाभांश भी आयर्डपीएफ प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे।
7. ऐसे सभी संबंधित शेयरधारक, जिनके शेयर आयर्डपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए देय हैं, ध्यान दें कि कंपनी आयर्डपीएफ प्राधिकरण में शेयर हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाण पत्र के बदले नए शेयर प्रमाण पत्र जारी कर रही है। नियमानुसार, ऐसे नए शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझे जाएंगे।
8. दावा न किए गए / भुगतान न किए गए लाभांश एवं नियमों के अनुसार आयर्डपीएफ प्राधिकारी को हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कोई भी शेयरधारक कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा। संबंधित शेयरधारक नोट कर सकते हैं कि, उपरोक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद दोनों दावा न किए गए / भुगतान न किए गए लाभांश हेतु और ऐसे शेयरों पर अर्जित लाभ सह आयर्डपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए शेयर यदि कोई हो तो आयर्डपीएफ प्राधिकारी से दावा कर सकता है।
9. संबंधित शेयरधारक, इस विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नोडल अधिकारी श्रीमती छाया जैन, कंपनी सचिव से दूरभाष क्रमांक 0832-2513870 या ई-मेल: chhayajain@goashipyard.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें उपरोक्त पते पर लिखें।

कृते गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

स्थान: वास्को दा गामा, गोवा

तिथि: 29.06.2018

(छाया जैन)

कंपनी सचिव